*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–04/जल–जीवन–15–13/2025 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार तिवारी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।
***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

विषयः– वित्तीय वर्ष 2022–23 में निर्गत विभागीय राज्यादेश सं०–187, दिनांक–20.01.2023 के व्यय के स्वीकृति को रद्द करने के संबंध में।

आदेशः– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में निर्गत विभागीय राज्यादेश सं०–187, दिनांक– 20.01.2023 द्वारा नगर पंचायत, परसा बाजार में जल–जीवन–हरियाली मिशन अन्तर्गत तालाब के जीर्णोद्धार कार्य हेतु ₹93.41300 लाख (तिरानवे लाख एकतालीस हजार सात सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल तत्काल राशि ₹40.00 लाख (चालीस लाख रू०) मात्र आवंटित की गई थी। उक्त आवंटित राशि की निकासी कतिपय कारणों से नहीं हो पाई।

2. अतः विभागीय राज्यादेश संख्या–187 दिनांक–20.01.2023 द्वारा आवंटित राशि के व्यय की स्वीकृति को रद्द किया जाता है।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–04/जल–जीवन–15–13/2025 1386 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–09/2/26

प्रतिलिपिः– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, परसा बाजार/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०–मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02, 04 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/2/26

सरकार के संयुक्त सचिव।